


तारीख
हुक्म

विधि अगवात/लेट 113 राज 8 1232
44/19 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के होरन भूमि मुक्ता हेतु पत्थरगादी
अधारा 128 R.L.R.A. के अंतर्गत कर्णका
निष्पन्न किया। तदानीलगाद मुक्ता न पत्थर
गादी के होरन इमराट पुलिस आवरपकता कसब
हे उपरोक्त विषयके ले प्रावपत्रमे कर्षित भूमि
प्राप्ती करी लेकए स्वतंत्ररी होने, न सीमाशात
राजोपधीन गारा किये जाते न सीमाशात निशात
को पडोसी खसिदाशत 312 नही मानने की
स्मिति से प्राप्ती प्रावपत्र अधारा 128 R.L.R.A. के
पत्थरगादी करण का एकीकरण भोग्य पाये जाते
ले एकीकरण किया जाता है।

अतः आदेश है कि राज म्पालावा/लेकए
तहक वसिदा लिखित प्रमाण (वचन 20) कसता
1-26 हेतु की पत्थरगादी R.L.R.A. अधारी धारा
128 के प्रावधानों के तहत विद्विषय प्रक्रिया
के तहत करवे। भोनाधिकारी कडीकुड
पत्थरगादी के होरन तदानीलगाद मुक्ता के वारा
जालिस इमराट माले पर निपमाउदार जालिस
इमराट उपलब्ध करीके न मोक पर कारन
व्यवस्था बनाये गये। तदानीलगाद कसब
थानाधिकारी कडीकुड को तहरीर जारी है।
प्रकर जे लीग सुमाट सेकड कड त कडीले दारिले
दफ्तार है।

निर्णय हुआ था गण


(चिकी भोगा R.A.)
राज जिला कलेक्टर
काठमांडू, नेपाल
कडीकुड (दोसा)

